भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 494
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत गुजरात को निधि

494. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत गुजरात राज्य को आवंटित/संस्वीकृत/जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) अभी भी जारी की जाने वाली बकाया निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जारी की गई निधियां अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक केन्द्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना है और पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत धनराशि राज्यवार आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है ।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, गुजरात राज्य में 108 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी परियोजना लागत ₹2648.03 करोड़ है और ₹663.52 करोड़ की स्वीकृत अनुदान सहायता /सब्सिडी है। अब तक इन 108 परियोजनाओं के लिए ₹522.56 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन और वित्तीय प्रगति के अनुरूप वास्तविक प्रगति को सत्यापित करने के लिए इकाई के निरीक्षण के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता/सब्सिडी जारी की जाती है।

(ग) एवं (घ): पीएमकेएसवाई एक मांग आधारित योजना है और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है।

*****